डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 – 124/2023

अनवान : –

1. अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी त0 भादरा। वादी

बनाम्

1. सतीश कुमार पुत्र देवकीनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी त0 भादरा।
2. लिछमा पत्नी देवकीनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री तरूण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता विरेन्द्र जाखड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी स्वामियान के खाता सं0 38/32 के खसरा सं0 26/4, 26/9 की कुल 1.657है0 में वादी का नाम अशोक कुमार पुत्र देवकीनन्दन कलमजन कर उसके स्थान पर वादी का सही नाम अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा एवं रोही मौजा मोतीपुरा बारानी के खाता सं0 42/43 की कुल 1.834है0 में वादी का नाम यशवन्त कुमार उर्फ बसन्तकुमार कलमजन कर उसके स्थान पर भी वादी का सही नाम अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा नाम की घोषणा की जाती है। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय वादी के यशवन्त कुमार उर्फ बसन्त कुमार नाम से देय हो तो उसके लिए वादी का पूर्व नाम ही लागू होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/1/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र०नं० — 124/2023
उनवान :

1. अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी त० भादरा। वादी

बनाम

1. सतीश कुमार पुत्र देवकीनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी त० भादरा।
2. लिछमा पत्नी देवकीनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए 1955

उपस्थिति :—श्री तरूण शर्मा प्रार्थी
विरेन्द्र जाखड़ अप्रार्थी

दिनांक: 29/1/25

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ढाणी स्वामियान के खाता सं० 38/32 के खसरा सं० 26/4, 26/9 की कुल 1.657है० वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर एवं रोही मौजा मोतीपुरा बारानी के खाता सं० 42/43 की कुल 1.834है० वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा मोतीपुरा बारानी में यशवन्तकुमार उर्फ बसन्तकुमार दर्ज हो गया तथा रोही मौजा ढाणी स्वामियान में अशोक कुमार दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा है। वादी के यशवन्त कुमार उर्फ बसन्तकुमार एवं अशोक कुमार नाम संवहन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, वादी के सभी दस्तावेजों में सही अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा ही दर्ज है। इस प्रकार वादी का गलत नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई ।

साक्ष्य वादी में वादी अशोक शर्मा द्वारा प्र[illegible]र कार्ड चित्रप्रति, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भागवा, राशन कार्ड प्रति व श[illegible]शित करवायें।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी[illegible]वकील वादी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा है ज[illegible]क राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय भूलवंश यशवन्तकुमार उर्फ बसन्तकुमार एवं अशोक कुमार दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों व रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
[illegible] (जिला-हनुमानगढ़)

तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी का सही नाम अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इस हेतु अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा के अन्य सहखातेदारों ने सहमति प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा ढाणी स्वामियान के खाता सं0 38/32 के खसरा सं0 26/4, 26/9 की कुल 1.657है0 वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर एवं रोही मौजा मोतीपुरा बारानी के खाता सं0 42/43 की कुल 1.834है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त खातेदारी में वादी का नाम रोही मौजा मोतीपुरा बारानी में यशवन्तकुमार उर्फ बसन्तकुमार व रोही मौजा ढाणी स्वामियान में अशोक कुमार दर्ज है। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपॉर्ट के अनुसार वादी का सही नाम अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र/वाद प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी स्वामियान के खाता सं0 38/32 के खसरा सं0 26/4, 26/9 की कुल 1.657है0 में वादी का नाम अशोक कुमार पुत्र देवकीनन्दन कलमजन कर उसके स्थान पर वादी का सही नाम अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा एवं रोही मौजा मोतीपुरा बारानी के खाता सं0 42/43 की कुल 1.834है0 में वादी का नाम यशवन्त कुमार उर्फ बसन्तकुमार कलमजन कर उसके स्थान पर भी वादी का सही नाम अशोक शर्मा पुत्र देवकीनन्दन शर्मा नाम की घोषणा की जाती है। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय वादी के यशवन्त कुमार उर्फ बसन्त कुमार नाम से देय हो तो उसके लिए वादी का पूर्व नाम ही लागू होगा। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:20 IST
Reason: SelfAttested